[Shri H. V. Patskar.]

I would again express my thanks for the way in which this Bill in spite of differences has been received and considered. It has been very thoroughly discussed in this House. Every point of view was considered. Of course, there are differences; for instance. I am unable to understand the difficulty of my friend, Dr. Mitra. I do not see what connection there is between the Supression of Immoral That Bill can Traffic Bill and this. be discussed later on and the hon. Member will have an opportunity then. He seems to be under the impression that a person will adopt and use that adoption for immoral purposes.

DR. P. C. MITRA: No. not for immoral purpose. What I said was that a public woman will take advantage of this when she is arrested.

SHRI H. V. PATASKAR: I do not think so. Anyway, that Bill is yet to come and his suggestions will be duly considered then.

I thank the Members for the way in which they have accorded their consent to this measure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI SHARDA BHARGAVA): The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE ABDUCTED PERSONS (RE-COVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL, 1956

THE MINISTER FOR WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SARDAR SWARAN SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

This Act under which the recoveries take place and the recovered persons are brought to neutral and permitted to meet their relatives -and whatever decision is taken is taken in accordance with their wishes —is due to expire on the 30th November this year, that is, tomorrow. By this measure, it is sought to extend the life of this Act for one year There are two reasons this step: One, the work that is being done of recovery and restoration in accordance with the wishes of the person recovered has not yet finished. A Commission had appointed in which both the countries of India and Pakistan were represented to examine the volume of work that still remains undone and to suggest means for expediting that work. The Commission have carried on certain investigations; two officers were appointed to assist that Commission. They have collected certain material but the Commission as such has not yet put in any report. representatives of the Government of India and the Government of Pakistan discussed this question in July last and came to the conclusion that the work should be continued and that the Commission should be asked to submit their report. That report has not yet been submited. The work is, therefore, yet to be carried on. I am aware of the feeling that exists in the country and also among certain sections of Parliament that this work has been going on for a very time and that the time has arrived when we should finish work. There is considerable force in that argument; on the other hand, it has to be remembered that the way that provisions of this enactment are being worked does not put anyone to any disadvantage and the person recovered, after recovery, is actually free to decide about his or her future. The will and the wish expressed by that person is the criterion for decision as to what should be done. I have circularised a small brochure which gives certain facts and statistics indicating the manner in which the recovery organisation has functioned. I would draw the attention

of the hon. Members of this Sabha to certain figures which are given on page 8 of this small brochure. analysis of these figures will indicate that from the year 1953 onwards, the number of persons who are restored or released in India is progressively increase. This is natural because, after these persons have had an opportunity of meeting their relations and thinking calmly about their future, a larger number of them preferred to remain in India. Therefore, the number of persons restored released in India is progressively increasing so much so that during the current year, that is, from January, 1956, till 30th of September, 1956the period for which figures have been given of the total number of persons recovered and disposed of-out of 781 persons, as many as 485 restored or released in India as compared to 296 that were transferred to and restored in Pakistan. That indicates that the ultimate and final decision is taken in accordance with the wishes of the person concerned and there cannot, therefore, be any valid allegation or valid complaint that any duress is being employed against those persons.

The second reason for the continuance of this Act is the human aspect of the problem. On the one hand, by the lapse of time, new ties have developed but in a fairly large number of cases—as these results indicate speak for themselves-the desire to free from this new atmosphere which had its origin in a rather ugly set of circumstances does continue to exist and it is really to afford relief to these aching souls that it is necessary that society should provide some mechanism and that is being provided in the form of the continuance this measure. At this stage I want only to add one thing that our intention is to continue this work for just as long a time as it is absolutely necessary. We have come here for extension by a period of one year and our intention is to make this last effort and if the work reaches its last leg during this period of one year, we may be able to really wind up this work even before the expiry of this one year. If after the end of this one year any work remains to be still done, our intention is to devise some social mechanism for handling work but so far as this process recovery and restoration is concerned, it is hoped that this will be the last extension. Hon. Members may rightly ask as to why we have come up for extensions for periods of a year or so. It has been our desire not to have this legislative measure on the Statute Book even for a day longer than what is absolutely necessary. was on that expectation and with that feeling in our mind that we did not ask either for long extensions or for placing this measure permanently on the Statute Book of our country. It had been thought from time to time that the work would be finished during the period for which extension particular was asked for at the moment but experience shows that the work still does require some more effort and it is for this reason that we are coming up for this extension.

and Restoration) Bill, 1956

There is one other aspect to which I would draw the attention of this hon. House and that is about children. On the last occasion when this Bill came up for discussion, quite naturally concern was expressed as to what would happen to children. With regard to children, the guiding principle has been to take decision which is in the best interests of the children concerned and for coming to a conclusion with that objective in view. the wishes of the mother had been more or less the guiding principle. Such of the children as are not either taken care of by the mother or by the abductor-father, as we call that individual according to the phraseology that we employ, are sent to home and there they are looked after by an institution.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair] These are the various considerations which have been very properly weigh-ed before coming to this House for extension of the life of this Bill. Sir, I move.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

سردار بده سنگه (جمون ایند کشمیر): آپتی چیرمین صاحب - دیکھنے کو تو یه بل نهایت معمولی اور معصوم نظر آتا ھے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو جب آپ دیکھیں گے تو معلوم هوگا که یه ایک ملک کی ، دیمی کی اور قوم کی عزت ، وقار ، قدر ، قومی شان اور ذمةداری کے ساتھ تعلق رکھتا ھے۔ جس رفتار سے کام هو رها هے اور جس اصول کے ماتحت اس کے متعلق مجھے کوئی اعتراض نهیں – کیونکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی طے شدہ اصول کے مطابق کر رہے هیں – لیکن میری عرض یہ هے کہ یہ سلسلہ سال به سال کبهی ختم هونے کو نهیں آتا -اور اس کی وجه یه هے که سوکالذ آزاد کشمیر کا همارا علاقہ 9 سال سے جہرا زبردستی ظالمانه طور پر پاکستان کے قبضہ میں چلا گیا ہے اور وہ بہت سی عورتوں، مردوں اور بھوں کو لے گئے ھیں جنکی کوئی پکار اور کوئی بات کوئی سن نہیں پاتا ھے ۔ اس میں کوئی شک نہیں که مغربى ينتجاب اور مشرقى ينتجاب مين جو کچھ بھی ہوا اور جنہوں نے بھی وہ کیا وہ بہت شرمناک بات اتھی ـ کشت و خون هواء لزائبی هوئی جگهزے هوئے ارریه ایک بوی شرمناک بات تهی ـ لیکن سب سے شرمناک بات جو ھے اور جو گناہ عظیم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ملک کے ایک حصے کو جو کہ ایے هندوستانی بهائیوں سے کت گیا ہے اس میں چاھے کسی مذھب کے آدمی ھوں انے قبضہ میں رکھے وہاں کی عورتوں کو اور بحوں کو اپنی قید میں رکھے ان کی مرضہ کے خلاف ان سے کاملے - ان

کی عصمت کو ان کی عزت کو ، آبرو کو ، خاک میں ملائے اور ان کی کوئی سننے والا نه هو –

میں کہوں کا کہ مہاتما کاندھی کے اس دیش میں جہاں اهنسا ، شانتی ، تهذیب ، اخلاق ، همدردی ، رواداری ، دهرم ، حق اور انصاف کا دعوی کیا جاتا ھے اُور اصول قائم ھے اس ملک میں کوئی بھی افوا شدہ عورت یا مرد نہیں رهنا چاهئے۔ لیکن اگر یه مسئله صاف هو جائے تو پهر هندوستان کو يه حنق پہلچتا ہے هندرستان کی یه ذمهداری هو جاتی هے هندوستان کا فرض ، دهرم اور ایمان هو جاتا هے که وہ اپنی تمام طاقت اخلاقی اور مادی جتنی بهی هو سکتی ھے اس کو لگا کر اپنی جان پر بھی کھیل کو اپنے ملک کے ، اپنے قوم کے بچوں کو ، لؤکے اور لؤکیوں کو جو که پاکستان کی قید میں هیں ورپس لائے اور ان کو چھڑائے -

اسوتت جتنی فگرس پیش کی گئی ھیں کہ ادھر سے کتنے برآمد ھوئے اور وهاں گئے اور ادھر سے کتنے معصوم ہے کناہ برآمد ہوئے اور یہاں آئے اس میں دوگنے کا فرق ھے۔ یه ایک بالکل حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ھے کہ یہاں سے کافی لوگ پاکستان میں کئے اور جنکی مرضی جانے کی تھی ان کو اجازت دی گئی اور وہ چانے گئے اور اس کے لئے یہاں تو دعوی کیا جاتا ہے حق کا۔ انصاف کا - رواداری کا - دهرم کا - شانتی کا -مذهب کا اور انسانیت کا – لیکن وهان تو اس سلسله میں کوئی اصول ھی نہیں ھے -كوئى أخلاق هي نهير هے – كوئي انسانيت نہیں ھے۔ رحم اور همدردی نہیں ھے کوئی حق اور رواداری نہیں ھے – وھاں تو همدرسی اور اخلاق و انسانیت کا دیواله نکل گیا ہے اور اس لئے وہ تو چھپا کو

ان لوگوں کو وہاں رکھے ہوئے ھیں برآمدگی نہیں ھوتی اور نامینل فگرس دے دیتے ھیں ۔ آپ نے کمیش بٹھا دیا تربیونل بتھا دیا اور ان کے متعلق افسر مقرر کر دیا ۔ آپ نے یہاں خاصے افسر مقرر کئے تو انہوں نے بھی ایک دو افسر مقرر کر دئے اور وہ کہتے هیں که چلو دیکھا جائے گا۔ اس وقت بهی باره باره اور چوده چوده برس کے نا بالغ لرکے، بھے آتھ آتھ سال ان کی قید میں رہ کر اور بہت بری حالت میں راہ کر واپس آ رہے هیں کبھی دس اور کبهی بیس اور کبهی کچه – یه سلسله جاری هے تو میں یه کهنا چاهدا ھوں کہ وہ دکھی لوگ کیا کہتے ھوں گے -وه هندوستان کا نقشه دیکهتے هیں جو که اب نیا بن گیا ہے اور جس میں که جموں و کشمیر هے - يقيناً هم نے تمام عهد و مهاهدے تمام قول و اقرار تمام دهرم اور سچائی پر مبدی باتیں جتنى هو سكتى تهين أن سب كو لفظ به لفظ پورا کرکے جموں و کشمیر کا قطعی طور پر آتل بغیر کسی شک و شبه کے بضوشی مکمل و آئینی طور پر هندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا ھے اور اب ھم . دیکھ رہے ھیں کہ ھنارا ۲۷ ھزار مربع میل رقبه باکستان کے قبضه میں هے اور همارے کئی هزار معصوم بے گناه انسان قید و بند میں هیں سوکالڈ آزاد کشمیر میں همارے دس لاکھ بھائی پھنسے ھوئے ھیں۔ ان کی جو دردشا وهاں هو رهی هے خصوصاً رفیوجیز کی ان کے ساتھ جو بدترین سلوک هو رها هے ان کو جسطوح سے ظالمانه طور پر جہاں تہاں کیمپوں میں رکھا جا رها هے۔ انہیں کشمیری کہمر جسطرح یے عزی کیا جا رہا ہے ان کو جسطرح سے ذليل كيا جاتا هے گالى دى جا رهى هے ارر ان کو جس طرح سے ستایا جاتا ہے یہ سب آپ روز مرہ اخباروں میں دیکھتے هيں - تو يه هم لوگوں كا كهنا هے كه وه

علاقه اور لوگ همارے پاس واپس آنے چاھئیں – ھمارے پرائم منستر نے بارے کہا ہے کہ وہ علاقہ اور لوگ همارے هيں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور پرائم منستر انڈیا نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم چپہ چپہ زمین کو جو کہ جہراً هم سے لے لی گئی ہے واپس لادیں کے اور جب ایسا هوگا تبھی همارے دیم سقیت کی اصلی باوندری قائم هوگی اور همین تسلی هوگی – هم انسانی جانوں کے نقصان کو اور مال و جائداد کے نقصان کو بھول سکتے ھیں – کسی کو کیا معلوم که کهان کهان قتل و خون هو^ا كتنا كتنا نقصان هوا هے - نه معلوم کتنی جانیں گئیں اور همارے<mark>ا</mark>مال کا ن^و معلوم كتنا تقصان هوا هے - ولا شايد هم . بھول جائیں گے لیکن جو ھمارے بھے ، بچیال ، عورتیل ، بهائی بند اب بهی پاکستان کے قبضہ میں ھیں اور آزادی کے لئے چلا رہے ھیں ان کو ھم کبھی بھی نہیں بھول سکیں گے۔ اندا بوا شاندار ملک ، اتنا برا طاقتور ملک ، اتنی بری سههیتا ، اتنی بوی سنسکرتی جو ملک رکھتا ھے اور جو اتنی بھی تہذیب ، اخلاق اور انصاف و دھرم کا دعوی کرتا ھے اس ملک کے لئے یہ سخت ضروری ہے که سارے کشمیر کے علاقہ کو آزاد کرنے سے پہلے ان بے گناہ اور بے کس اوگوں کو جو د مندوں اور ظالموں کے شکنجوں میں ترب رھے ھیں واپس لائیں – آج اس سوال کو همیں دوسرے پہلو سے دنیا کی تواریخ کو سامنے رکھکو حل کونا ھوگا - آپ هندوستان کی تواریخ کو دیکھیں دنیا میں کئی دفعه جنگ هوتی آئی هے سپاهی فوجیں لرتی هیں لیکن همارے ملک میں تو ایک عجیب و غریب جنگ هوئی - همارے یہاں ایسی جنگ ھوئی – جس جنگ میں سیاھی تو نہیں پکوے جا سکے - اگر سپاھی یکوے جاتے هیں تو وہ قید میں چلے

[سردار بده سنگه]

جاتے هیں یا انک تبادله هو جاتا هے لیکن همارے یہاں سے معصوم بچے مرد عورتیں جبراً لیجائی گئیں، ان کی عصبت اور عزت لوتي گئي – آن کا پته نهیں که وه کهاں کهاں هیں اور كتنے هيں – حملة آورا ذاكو ، قاتل ، چور ، بدمعاش اور فندے جن میں انسانیت ختم هو چکی تهی وه هماری دولت ، همار می عزت ، لوت کو همار ہے آدسی پکر کر لے گئے اور هماے علاقہ پر جبراً قبضه كر ليا - همارى توپيس ، همارے هوائی جهاز ، همارے بهادر سپاهی موجود هیں اس چیز کو دیکھتے هیں یه اب برداشت کے باہر بات ھے۔ کہ ھمارے بھائی دشس کے قبضہ میں رهیں اور همارے رفیوجی بھائی پوچھتے ھیں کہ کیسے همارے سپاهی ابتک ایک جگه پوے هوئے هيں ، كيسا سيز فائر هے اور كيا معاملة هے ، كس طوح كا ية سمجهودا ھے ، کبتک یہ سلسلہ رھیگا ۔ ھماری عورتیں مرد هم سے هر طوح کے سوال پوچھتے ھیں – میں بھی ایک رفیوجی ھوں رفیوجیوں اور قیدیوں کے دکھ اور درد سے میوا دل بھرا ھوا ھے۔ میرے خاندان کے کئی افراد مارے گئے، میرے ساتھی اور دوسرے بھائی جنگ میں مارے گئے، سینکوس اور هزاروں کی تعداد میں مارے گئے – لیکن اغوا شدہ لوگوں کا رنبج و دکھ ھے - میں منستر صاحب سے عرض کروں کا کہ میں ان کی همدردی اور کام کی داد دیتا هوس نیکن کبتک ھم اس طرح انتظار میں رھیں <u>گے</u>۔ پاکستان کی تو مرضی هی نهیل هے که ولا کسی طرح سے بھی ھمارے علاقلا سے هتے اور نکلے اور همارے بھودے هونے بھائیوں کو هم سے ملنے دے۔ آج تو وہ جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے ۔ توپ بندوق اور ہوائی جہاز سے لرائی کی تیاری

جانتا هے که خاصه علاقه میرے قبضه میں آ چکا ھے ۔ عورتیں ، مرد ، بھے سب میرے قبضہ میں آ چکے هیں کون واپس لے سکتا ھے – وہ ھماری کسی بات، امتراض و پروتست کا جواب هی نهیں دینا ارر کسی قسم کے بی<u>ن،الا</u>ٹوامی قانونوں کی پرواہ ھی نہیں کرتا – کتلے ھی بین الاقوامی قانون ارد اصول أسے دکھائیں وہ کہتا ھے کہ نہیں اور تو اور کشمیر کا باقی حصه بهی مجه مللا چاهئے -النهر آپ التظار میں هیں که کب سمجهوتا ھو اور ادھر وہ تلا ھوا ھے جلگ کرنے کے لئے۔ بارڈر میں وہ حملہ کرتے ھیں، همارے بحوں کو ، عورتوں کو ، بھگا کر لیجاتے هیں کئی واقعات اسطرح کے هوتے رهتے هیں – میں منستر صاحب کی خدمت میں اور ھاؤس کے سامنے یہ عرض كرنا چاهتا هول كه همارا ++> ميل لمبا باردر هے اور پتهانکوت سے لیکر ۱۵+ میل تک جو علاقه جموں سے ملتا ہے خطرہ میں ہے ۔ سب علاقہ بارڈر میں وہ تیار بیٹھے ھیں۔ جن ھمارے لوگوں کو وہ لے گئے ھیں ان پر ظلم وتشدد وفيره كر رهے هيس – اب تو وه اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ کہیں سے اس طرح کی چھیوخانی کریں جس سے جیسا کہ پہ<u>لے</u> بھی یونائٹی<u></u> نیشآز کے ساتھ مل کو، سامواجی طاقتوں کی مدد سے ان کا پروگرام تھا – که ان کی یعنی بديشي فوجيس ايكدم همارے ملك ميس دھوکہ سے گھس آئیں اور قبضہ کرلیں ۔ جو پوزیشن پاکستان نے کشمیر کے معاملہ میں اختیار کی تھی اس کو ھم نے اور گورنمیلت آف اندیا نے ناملظور کو دیا۔ اب هم سے همارے رفیورجی بهائی کہتے هیں که کیا کیهی هم ایلے گهروں کو

وایس جائیں گے - میں چپ رهنا

كرتا هے اور اكثر جهوت بولتا هے - ولا

هون - مگر میں کہتا هوں که جو ملک کا حصم جلا گیا وہ همارے هاته سے نکل چکا ھے ۔ اس کو واپس لانا ھے جو زندہ انسان دشمن کے قبضہ میں ، ان کی قید میں هیں ، وہ معصوم ، ہے گناه عورتیں اور بھے ترپ رھے ھیں، آسمان کی طرف دیکه رهے هیں -هددوستان کے بدلتے هوئے نقشه کی طرف دیکھ رھے میں اور آھیں بھر رھے ھیں – انکو واپس لانے کی همیں جلد فکر کرنی چاھئے - یہاں کے حالات اخباروں اور کتابوں میں وهاں پہ وقے هیں لیکن ان کی سنجه میں یہ نہیں آرھا ہے۔ کہ ان کا بھی کوئی وارث ھے ۔ آپ ھندوستان کی تواریخ پرهئے، آپ رامائن پرهئے، مها بهارت پوهئے تمام هندو دهرم اس پر اعتقاد رکهتا هے۔ سبتا کا حال يوهني دروید ی کا حال پوهئے ، کسطرے سے ان کی آبرو اور عزت کو بھانے کے لیے لڑائی هوئی - سارا مهایهارت اور رامائن آپ ہوھ جائیے ، آج کلجگ کے زمانہ میں آپ دنیا کی طرف دیکھیں ذرا ایسا واقعه هوتا هے کچھ یورپین ممالک میں روس کے آدمی ہلاک ہو جاتے ہیں یا کوئی عورت یا مرد قید و بند کی جاتی ھے تو تمام جگه اس کا ذکر اور شور هوتا ھے جنگ ھوتی ھے – امریکھ کا کوئی وطنى كهيس قيد هو جانا هے آيا مارا جاتاً هے تو هنگاما مي جانا هے - ليكن كيا هم مين هست ، غيرت ، دمهداري يا اله دهرم كا يالن كرنے كا احساس کم هو گیا هے ? مجھے ان باتوں سے بوا دکھ اور حیرت هوتی هے - میں جانتا ھوں کہ ھمارے منستر صاحب ، سورن سنگه جی کو بھی اس بات کا دکھ ہے جواهر لال جي كو بھي دكھ هے ليكن جس طریقہ سے۔ کام ہو رھا ہے اس سے آپ کبھی امید نہیں رکھ سکتے که اغوا شدہ 5—43 Rajya Sabha/56

همارے بھائی اور بہنیں هم سے مل سکیں گے ۔ هم دنیا میں ایے مصیبت زدہ بھائیوں کے سامنے ، اپنے کانشینس ، اپنے ضمیر کے سامنے خدا اور پرماتما کے سامنے ، کیسے جوابدھی کر سکیں گے? ایسی حالت میں آج هم کیسے آزادی اور شان سے چلتے هیں - هم کیسے کهاتے پیتے هیں یہ همارا دل هی جانتا هے - میں روچهتا هوں که یه جو آپ آهسته آهسته گام کر رہے ھیں اس سے کیا کسی طرح قيديون يا اغوا شده غريبون كا چهتكارا هو سكتا هـ - جب سے همارا علاقه كيا هم اینا گھر نہیں بنا سکے۔ بے پناہ ھوکر رفیوچی بن کر ، لاکھوں کی تعداد میں دربدر پهر رهے هيں - زمين پر پرے هوئے هیں ، آسان کی چهت کی طرف دیکھ رہے میں – رفیوجیوں کی جائیداد گهر وطن آزادی مدهب ، عیم و آرام سب ختم هو گيا - كيا آپ چاهتے هيں كة هم الله علاقه اور الله لوگوں كو بهول جائیں اور بیٹھے رهیں ، دیمکتے رهیں ارر صرف کهدین که هآن هم هندو ستان میں شامل هیں - هندو ستان ایک بور ملک ہے ، یہاں سیکولرزم ہے ، یہاں سبھی مذهب کی آزادی و حقوق محفوظ و برابر ھیں – لیکن میں اس کے فرض و دهرم کو پهر سے یاد دلانا چاهتا هوں اور وہ یہ ھے –

سپردم بتو مایهٔ خویش را چو دانی حساب کم و بیش را

اب تو هم نے اپنے آپ کو هندوستان کے سپرد کر دیا هے ، آپ کے سپرد کر دیا هے ، آپ کے سپرد کر دیا عزت و وقار اور آبرو کا سوال هو گیا هے – لیکن میں اپنے هندوستانی بها ئیوں سے کہنے طور پر یہ کہنا چاهتا هوں کا یا معاملہ اسوقت تک ختم نہیں هوگا جب حیاملہ اسوقت تک ختم نہیں هوگا جب رتیک گی دشن کو نوٹس نہیں دیدیتے

[سردار بدھ سلکھ] کہ نکلو ھمارے ملک سے – جموں کشمیر اب آپ کا <u>ھے</u> –

مستر دَیِتی چیرمین - جب هم روز مود اخباروں کو دیکھتے ھیں تو حیران هو جاتے هيں - صبح کچه شام کچه -آج وهی حملهآور وهال قتاً هوا هے اور دهمکی دّے رہا ہے۔ اب آپ کو چاھئے که جسقدر جلد ممكن هو اس كو باهر نكاليس يا رکھیں - خدا کے واسطے ، ایشور کے واسطے یه تو بتاؤ که وه ۲۷ هزار مربع میل. علاقه کچھ کم ھے جس میں ڈاکو کے طور پر گهس کر ، حمله کرکے انہوں نے قبضُهُ كُو لِيا هَ } أس نِه كس قانون سے کس لا سے ، اس پر قبضه کیا هوا هے دنیا میں کوئی منصف شخص یا طاقت نهير پوچهتي – کوئي يو – اين – او – ه كوئى دنيا كى عدالت فيصلا نهيل كرتى که کتنا بوا ظلم هوا هے - کون جابرہ حملة آور اور ظالم هے اور كون مظلوم هے پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا که کیوں اس نے کتنے ھی ہے گناھوں کو قید کر رکھا ہے ہ یہ کوئی نہیں پوچھت^ا کہ اس کا کیا حق ھے۔ آخر یہ کوئی پولیتیکل معاملة نهیں هے، کوئی پیچیده مسئله نهیں هے - سیدها سادا معاملة هے اپنے هي گهر كا معاملة هے - هميں دوسرے ملکوں میں جانے کی کیا ضرورت ھے ? میں آپ کو آگاہ کرتا ھوں که جبتک آپ زبردستی کسی جابر ظالم حملة آور كو باهر نكاليس <u>كم</u> نهيس تو وا خود نکلنے والا نہیں – یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ھوں کہ اس کو نوتس دیدو کہ هم نے اپنا کانسٹی تیوشن آپ کے مطابق حسب حال اور اچهی طرح بنایا - پېری آزاد کی موام کو دی اور الحماق كا قطعي فيصله كياً - كيا اس كا

همهن كوئى فائدة حاصل نهين هوكا ضرور هونا چاهئے مگر رفیوجیز صحه سے پوچهتے ھیں کہ اس آزادی کا کیسے فائدہ اتھا سکتے ھیں ۔ ھم نے اپنے ملک کے لئے النبي جانيل لوا ديل اور أس سلسلة ميل جو کچھ بھی کیا اس کو کہنے کی یہاں ضرورت نہیں – محھے شرم آتی ہے – آج همارے خاندان کے اور دوسرے بھائیوں کے جو رشتہ دار، بحج هیں، یه کہتے هیں كم كانستى تيوشن بن كيا ليكن هم كيا كريس - كهر نهيس رها ، كهات نهيس رها ، رویده پیسه نهیل رها اور آرام و آسائه ، سامان زندگی اور اینا علاقه نهین رها -جو علاقه هم چهور آئے هیں وهاں همارے مکان هیں ، زمینیں هیں ، بھھڑے هوئے بهائي هين ۽ همين نه واپس اپنا گهر ملتا هے نه معاوضه بلکه تمام رفهوجی بهائیوں سے مكانون كا كراية ليا جاتا هي - كها جاتا ھے یہ بات رول میں ، قانون میں لکھی كُنِّي هِ - لهذا نئي قانون بننے چاهئيں -لیکن یهان مین دیکهتا هون که صوف لفظوں کی بعث ہو رہی ہے ۔ ذرا اس دل سے پوچھئے جس پر بیت رهی هے ، جس کے لخت جگر قید میں هیں ارو آهیں بهر رهے هیں - اور جو بے سرو سامان اور دکھی ھیں –

(Time bell rings.)

معاف کیجئے کا ، میں تہورا اور وقت لوں کا – تو میں عرض کو رھا تھا که ھمارے بھائی کتنے دکھ میں رہ کو وھاں آ ھیں بھر رہے ھیں – ان کی آھوں کے سلگنے سے ، آگ سے وہ ملک جل جائیکا وھاں ان پر ظلم ھو رھا ھے – پاکستان نے جن بے گلاہ لوگوں پر مطالم اور ستم کئے ھیں ان کی آبہوں سے وہ بچ نہیں سکتا ، نہ اس سزا سے بچ سکتا ، نہ اس سزا سے بچ سکتا نازل ھوگی – یہ سزا قدرتی طور پر الزم نازل ھوگی – یہ سزا قدرتی طور پر الزم

بارباریه پوها هوگا که پاکستان اعلانیه کهتا ھے کہ هندوستان همارا دشمن و متحالف ھے۔ همارے بال بچے ، عورتیں جو پاکستان میں پتری هوئنی هیں - آور جو مود اس وقت وهان بوء هوئے هيں وه در اصل پاکستانی حکومت کے قبضہ میں هیں ارد امید نہیں ہے کہ وہ لوگ کبھی اس طرح ایتے رشته داروں کے ساتھ مل بھی سمیں کے - ادھر کے لوگ اپ رشتہ داروں سے ملنے کے لئے توں رہے میں۔ آپ چاھے کتنے قانون بنائیں مگر همارے جو لوگ وهاں چلے گئے هیں ان کا واپس آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جب آپ ایدی زمین کا وہ حصة جو كه پاكستان زېردستى الله تبضه میں رکھے ہوئے ہے نہیں چھڑا سکے هوں تب یہ کیسے امید کی جا سکتی هے ک^ھ ان لوگوں کو جنکو پاکستانی ڈاکو اتھا لے کئے ھیں آپ زبانی باتوں سے چھوا سکیں - اور وہ واپس مناآئے جائیں گے ? یہ سوال کشمیر کے لوگوں کے دل و دماغ میں کافی اثر پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ پاکستانی حمله سے ان کے جو رقته دار وهاں ر^و گئے هیں ان کی واپسی کا اُبھی تک کوئی تھوس اور فیصلہ کن انتظام نهیں هوا هے - جب تک کشمیر كا باتى حصّه همين نهين ملتا اور وهان سے همارے بال بنچے عورتیں اور دیگر لوک واپس نہیں لآئے جاتے تب تک نه کشییر سلامت ہے نه اس کی باؤنڈری متصفوظ را سکتی هے اور ناہ هندوستان کا رقار هی قائم ره سکیا هے۔ اور نه هندرستان کی عزت و عصمت هی قائم ولا سکتی ھے ۔

تهیلک یو۔

सरदार बुध सिंह (जम्मू एन्ड काइमीर) : डिप्टी चेयरमैन साहब! देखने को तो यह बिल निहायत मामूली ग्रीर मासूम नजर ग्रात है लेकिन इसके बैक ग्राउन्ड ग्रीर पसे मंजर को जब ग्राप देखेंगे तो मालूम होगा कि यह एक मुल्क

^{*}Hindi translation

[सरदार बुध सिंह]

की, देश की, ग्रौर कौम की इज्जत, वकार, कदर, कौमी शान और जिम्मेदारी के साथ ताल्लक हखता है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है श्रौर जिस श्रसूल के मातहत, इसके मृतिल्लेक मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि जो लोग यह काम कर रहे ह वे किसी तयशदा ग्रस्ल के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन मेरी म्रजयह है कि यह सिलसिला साल ब साल कभी खत्म होने को नहीं ग्राता ग्रौर इसकी वजह यह है कि सो काल्ड ग्राजाद काश्मीर का हमारा इलाका नौ साल से जबरन, जबरदस्ती, जालिमाना तौर पर पाकिस्तान के कब्जे चला गया है ग्रौर वे बहुत सी ग्रौरतों, मर्दो श्रौर बच्चों को ले गये हैं जिनकी कोई प्रकार श्रौर कोई बात कोई नहीं सुन पाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मगरबी पंजाब ग्रौर मशरकी पंजाब में जो कुछ भी हुग्रा ग्रौर जिन्होंने भी वह किया वह बहुत शरमनाक बात थी। क्र्रतोखन हुन्ना, लड़ाई हुई, झगड़े हुए स्रौर यह एक बड़ी शरमनाक बात थी । लेकिन सबसे शरमनाक बात जो है और जो गुनाहे अजीम ह वह यह है कि कोई मुल्क के एक हिस्से को जो कि ऋपने हिन्द्स्तानी भाइयों से कट गया है इसमें चाह किसी मजहब के श्रादमी हों, श्रपने कब्जे में रखे, वहां की ग्रौरतों को ग्रौर बच्चों को ग्रपनी कैद में रखे, उनकी मर्जी के खिलाफ इनसे काम ले, इनकी इस्मत को, इनकी इज्जत को, श्राबरू को खाक में मिलाये, और इनकी कोई सुनने वाला न हो।

में कहंगा कि महात्मा गांधी के इस देश में जहां श्राहिमा, शान्ति, तहजीब, श्रखलाक, हमदर्दी, रवादारी, धर्म, हक श्रौर इंसाफ का दावा किया जाता है श्रौर श्रम्ल कायम है इस मुल्क में कोई भी श्रगवाशुदा श्रौरत या मर्द नहीं रहना चाहिये। लेकिन श्रगर यह मसला साफ हो जाय तो फिर हिन्दुस्तान को यह हक पहुंचता है, हिन्दुस्तान की यह जिम्मेदारी हो जाती है, हिन्दुस्तान का फर्ज, धर्म, श्रौर ईमान हो जाता है कि वह श्रपनी तमाम ताकत, श्रखलाकी श्रौर मादी जितनी भी हो सकती है, इसको लगाकर श्रपनी जान पर भी खेलकर श्रपने मुल्क के, श्रपनी कौम के बच्चो को, लड़के श्रौर लड़कियों को जो कि पाकिस्तान की कैद में हैं वापिस लाये श्रौर उनको छड़ाये।

इस वक्त जितनी फिगर्स पेश की गयी हैं कि इधर से कितने बरामद हुए श्रौर वहां गये श्रौर उधर से कितने मासूम बेगुनाह बरामद हुए श्रौर यहां आये इसमें दुगने का फर्क है । यह एक बिलकुल हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि यहां से काफी लोग पाकिस्तान में गये श्रौर जिनकी मर्जी जाने की थी उनको इजाजत दी गयी ग्रौर वे चले गये ग्रौर इसके लिये यहां तो दावा किया जाता है हक का, इन्साफ का, रवादारी का, धर्म का, शान्ति का, मजहब का और इन्मानियत का। लेकिन वहां तो इस सिलसिले में कोई **ग्रमूल ही नहीं है । कोई ग्रखलाक ही नहीं है**, कोई इन्सानियत नहीं है, कोई रहम श्रौर हमदर्दी नहीं है, कोई हक ग्रौर रवादारी नहीं है, वहां तो हमदर्दी ग्रौर ग्रखलाक व इन्सानियत का दिवाला निकल गया है ग्रौर इसलिये वे तो छपाकर उन लोगों को वहां रखे हुए हैं, बरामदगी नहीं होती, श्रीर नोमीनल फिगर्स दे देते हैं। ग्रापने कमीशन बिठा दिया, ट्रिब्युनल बिठा दिया, श्रौर इनके मुतल्लिक ग्रफसर मुकर्रर कर दिया । **ग्रापने यहां खासे श्रफसर मुकर्रर** किये तो उन्होंने भी एक दो ग्रफसर मुकर्रर कर दिये श्रीर वे कहते हैं कि चलो देखा जायगा । इस श्रौर् चौदह-चौदह बारह-बारह वर्ष के नाबालिंग लड़के, बच्चे, ग्राठ-ग्राठ साल उनकी कैंद में रहकर श्रौर बहुत बुरी हालत में रहकर वापस ग्रा रहे हैं। कभी दस, कभी बीस ग्रौर कभी कुछ । यह सिलसिला जारी है। तो में कहना चाहता हूं कि वे दु:खी लोग क्या कहते होंगे । वे हिन्दुस्तान का नक्शा देखते हैं जो कि म्रब नया बन गया है म्रौर जिसमें कि ग्रहद व मुग्राहदे, तमाम कौल व इकरार, तमाम धर्म ग्रौर सच्चाई पर मबनी बातें जितनी हो सकती थीं उन सबको लफ्ज ब लफ्ज पूरा करके जम्म व काश्मीर का कतई तौर पर, ग्रटल, बगैर किसी शक व शुबा के, ब खुशी मुकस्मिल व श्रायनी तौर पर हिन्दुस्तान के साथ इलहाक कर लिया है ग्रौर भ्रब हम देख रहे है कि हमारा २७ हजार मुरब्बा मील रकबा पाकिस्तान के कब्जे में है ग्रौर हमारे कई हजार मासुम वेग्नाह इन्सान कैद व बन्द में हैं सो काल्ड ग्राजाद काश्मीर में हमारे दस लाख भाई फंसे हुये हैं। इनकी जो दूर्दशा वहां हो रही है ख्सूसन रिपयुजीज की, उनके साथ जो बदतरीन सल्क हो रहा है, उनको जिस तरह से जालिमाना तौर पर जहा-तहां कैम्पों में रखा जा रहा है । उन्हें काश्मीरी कहकर जिस तरह बेडज्जत किया जा रहा है उनको जिस तरह से जलील किया जाता है, गाली दी जा रही है, ग्रौर इनको जिस तरह से सताया जाता है, यह सब ग्राप रोजमर्रा ग्रखबारों में देखते हैं। तो यह हम लोगों का कहना है

िक वह इलाका स्त्रीर लोग हमारे पास वापिस श्राने चाहियें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा कहा है कि वह इलाका ग्रौर लोग हमारे हैं ग्रौर उन्होंने वायदा किया है स्रौर प्राइम मिनिस्टर. इंडिया ने भी कहा हुन्रा है कि हम चप्पा-चप्पा जमीन को जो कि हमसे जबरन ले ली गई है वापस ला देंगे श्रौर जब ऐसा होगा तभी हमारे देश, स्टेट की असली बाउड़ी, कायम होगी स्रौर हमें तसल्ली होगी । हम इन्सानी जानों के न्कसान को श्रौर माल व जायदाद के नुकसान को भूल सकते हैं। किसी को क्या मालूम कि कहां-कहां कत्ल व खून हुन्ना, कितना कितना नुकसान हम्रा है । न मालम कितनी जानें गई श्रौर हमार माल का न मालुम कितना नुकसान हुग्रा है । वह शायद हम भूल जायेंगे लेकिन जो हमारे बच्चे, बच्चियां, ग्रौरतें,भाई बंद ग्रब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं ग्रौर ग्राजादी के लिये चिल्ला रहे है उनको हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे । इतना बड़ा शानदार मुल्क, इतना बड़ा ताकतवर मल्क, इतनी बडी सभ्यता, इतनी बडी संस्कृति, जो मल्क रखता है ग्रौर जो इतनी वड़ी तहजीव, ग्रखलाक ग्रौर इन्साफ व धर्म का दावा करता है इस म्ल्क के लिये यह सम्त जरूरी है कि सारे काश्मीर के इलाके को श्राजाद करने से पहले उन बेगनाह श्रीर बेकस लोगों को जो दूश्मनों ग्रौर जालिमों के शिकन्जों में तड़प रहे हैं वापस लायें। स्राज इस सवाल को हमें दूसरे पहलू से दूनिया की तवारीख के सामने रखकर हल करना होगा । म्राप हिन्दूस्तान की तवारीख को देखें। दुनिया में कई दफा जंग होती म्राई है, सिपाही फौजें लड़ती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो एक श्रजीबोगरीब जंग हुई । हमारे यहां ऐसी जंग हुई जिस जंग में सिपाही तो नहीं पकडे जा सके—–ग्रगर सिपाही पकड़े जाते हैं तो वह कैंद में चले जाते हैं, उनका नबादला हो जाता है--लेकिन हमारे यहां से मासूम बच्चे, मर्द, श्रौरतें जबरन ले जाई गई, उनकी इस्मत श्रौर इज्जत लुटी गई । उनका यता नहीं कि वे कहां कहां हैं ग्रौर कितने हैं। हमलावर डाक, कातिल, चोर, बदमाश ग्रौर गंडे जिनमें इन्सानियत खत्म हो चुकी थी वे हमारी दौलत, हमारी इज्जत, लुटकर हमारे श्रादमी पकड कर ले गये श्रौर हमारे इलाके पर जबरन कब्जा कर लिया । हमारी तोपें, हमारे हवाई जहाज, हमारे बहादुर सिपाही, मौजूद हैं, इस चीज को देखते हैं । यह ग्रब बर्दाश्त के बाहर बात है कि हमारे भाई दूरमन के कब्जे में रहें और हमारे रिफ्यूजी भाई पूछते हैं कि कैसे हमारे सिपाही अब तक एक जगह पडे़ हुए

हैं, कैसा सीज फायर है ऋौर क्या मामला है, किस तरह का यह समझौता है, कब तक यह सिलसिला रहेगा । हमारी श्रौरतें, मर्द, हमसे हर तरह के सवाल पूछते हैं । मै भी एक रिफ्यजी हूं। रिफ्युजियों ग्रौर कैंदियों के दु:ख ग्रौर दर्द से मेरा दिल भरा हुन्रा है । मेरे खानदान के कई अफराद मारे गये, मेरे साथी और दसरे भाई जंग में मारे गये, सैकड़ों स्रौर हजारों की तादाद में मारे गये । लेकिन म्रगवाशदा लोगों का रंज व दुःख है । मैं मिनिस्टर साहब से श्चर्जकरूंगा कि मैं इनकी हमदर्दी ग्रौर काम की दाद देता हूं लेकिन कब तक हम इस तरह इन्तजार में रहेंगे । पाकिस्तान की तो मर्जी है ही नहीं कि वह किसी तरह से भी हमारे इलाके से हटे ग्रीर निकले ग्रीर हमारे विछडे हुए भाइयों को हमसे मिलने दे, स्राज तो वह जंग की धमकियां देता है। तोप, बन्दूक ग्रौर हवाई जहाज से लड़ाई की तैयारी करना है श्रौर श्रक्सर भूठ बोलता है। वह जानता है कि खासा इलाका मेरे कब्जे में ग्रा चुका है। ग्रौरतें, मर्द, बच्चे सब मेरे कब्जे में ग्रा चके हैं, कौन वापस ले सकता है। वह हमारी किसी बात, ऐतराज व प्रोटेस्ट का जवाब ही नहीं देता ग्रौर किसी किस्म के बैन ग्रलाकुश्रामी कानुनों परवाह ही नहीं करता । कितने ही वैन ग्रला-कुग्रामी कानुन ग्रौर ग्रमूल उसे दिखायें वह कहता है कि नहीं । श्रौर तो श्रौर काश्मीर का बाकी हिस्सा भी मुझे मिलना चाहिये । इधर भ्राप इन्तजार में हैं कि कब समझौता हो ग्रौर उधर वह तूलाहुम्रा है जंग करने के लिये। बार्डर में वह हमला करते हैं हमारे बच्चों को, श्रौरतों को,भगाकर ले जाते है कई वाकयात इस तरह के होते रहते हैं । मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में श्रौर हाउस के सामने यह श्रर्ज करना चाहता हं कि हमारा सात सौ मील लम्बा बार्डर है श्रौर पठानकोट से लेकर १५० मील तक जो इलाका जम्मु सें मिलता है ख़तरे में है । सब इलाकाए बार्डर में वें तैयार बैठे हैं । जिन हमारे लोगों को वे ले गये हैं, इन पर जुल्म व तशद्दुद वगैरा कर रहे है। अब तो वे इस बात पर तुले हुए हैं कि कहीं से इस तरह की छेड़खानी करें जिससे जैसा कि पहले भी युनाइटेड नेशन्स केसाथ मिलकर साम्राज्यी ताकतों की मदद से उनका प्रोग्राम था, कि इनकी यानी विदेशी फौजें एकदम हमारे मुल्क में घोके से घुस ब्रायें ग्रौरकब्जाकरलें। जो पोजीशन पाकिस्तान ने काइमीर के मामले में अख्तियार की थी उसको हमने स्रौर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने नामंजुर कर दिया । अब हमसे हमारे रिफ्युजी भाई कहते

[सरदार बुध सिंह] है कि क्या कभी हम अपने घरों को वापस जायंगे। मैं चुप रहता हं मगर में कहता हं कि जो मुल्क का हिस्सा चला गया वह हमारे हाथ से निकल चुका है इसको वापस लाना है । जो जिन्दा इन्सान दुश्मन के कब्जा में, उनकी कैद में है, वे मासूम, बेगुनाह ग्रौरतें ग्रौर बच्चे तड़प रहे हैं, श्रासमान की तरफ देख रहे हैं। हिन्द्स्तान के बदलते हुए नक्शा की तरफ देख रहे हैं ग्रौर ग्राहें भर रहे हैं। उनको वापस लाने की हमें जल्द फिकर करनी चाहिये। यहां के हालात ग्रयखबारों श्रौर किताबे में वहां पढ रहे हैं लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उनका भी कोई वारिस है। भ्राप हिन्दुस्तान की तवारीख पढिये, स्राप रामायण पढिये, महाभारत पढिये, तमाम हिन्दू धर्म इस पर एतकाद रखता है। सीता का हाल पढ़िये, द्रोपदी का हाल पढ़िये किस तरह से उनकी भ्रावरू भ्रौर इज्जत को बचाने के लिये लडाई हुई । सारा महाभारत श्रौर रामायण श्राप पढ़ जाइये; श्राज कलयुग के जमाने में स्राप दुनिया की तरफ देखें, जरा ऐसा वाकया होता है कि कुछ युरोपियन मुमालक में रूस के ब्रादमी हलाक हो जाते हैं या कोई श्रौरत या मर्द कैद व बन्द की जाती है तो तमाम जगह इसका जिक्र ग्रौर शोर होता है, जंग होती है । श्रमरीका का कोई वतनी कहीं कैद हो जाता है या मारा जाता है तो हंगामा मच जाता है । लेकिन क्या हममें हिम्मत, गैरत, जिम्मेदारी या ग्रपने धर्म के पालन करने का ग्रहसास कम हो गया है ? मुझे इन बातों से बड़ा दुःख ग्रौर हैरत होती है। मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब, स्वर्णसिंह जी को भी इस बात का दुःख है, जवाहरलाल जी को भी दू:ख है । लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है इससे ग्राप कभी उम्मीद नहीं रख सकते कि अगवाश्दा हमारे भाई स्रौर बहनें हमसे मिल सकेंगे। हम दूनिया में अपने मुसीबतजदा भाइयों के सामने, अपने कौंशियन्स, ग्रपने जमीर के सामने, ख्दा ग्रौर परमात्मा के सामने, कैसे जवाबदेही कर सकेंगे ? ऐसी हालत में श्राज हम कैसे श्राजादी श्रौर शान से चलते हैं, हम कैसे खाते-पीते है यह हमारादिल ही जानता है। मैं पूछता हूं कि यह जो ग्राप ग्राहिस्ता-ग्राहिस्ता काम कर रहे हैं इसमे क्या किसी तरह कैदियों, अगवाशुदा गरीबों का छटकारा हो सकता है। जब से हमारा इलाका गया हम ग्रपना घर नहीं बना सके। वेपनाह होकर, रिफ्युजी बनकर, लाखों की तादाद में दरबदर फिरें रहे हैं, जमीन पर पड़े

हुए हैं, ग्रासमान की छत की तरफ देख रहे हैं। रिपयूजियों की जायदाद, घर, वतन, ग्राजादी, मजहब, ऐश व ग्राराम सब खत्म हो गया। क्या ग्राप चाहते हैं कि हम ग्रपने इलाके ग्रौर ग्रपने लोगों को भूल जायें ग्रौर बैठे रहें, देखते रहें, ग्रौर सिर्फ कह दें कि हां हम हिन्दुस्तान में शामिल हैं। हिन्दुस्तान एक बड़ा मुल्क हैं, यहां सैक्यूलरिज्म है, यहां सभी मजहब की ग्राजादी व हकूक महफूज व बराबर हैं। लेकिन में इसके फर्ज व धर्म को फिर से याद दिलाना चाहता हुं ग्रौर वह यह है,

सिपुरदम बतो मायाए स्वेश रा चू दानी हिमाबे कमो वेश रा!

स्रव तो हमने स्रापको हिन्दुस्तान के सुपुर्द कर दिया है, स्रापके सुपुर्द कर दिया है, बिल्क स्रव तो स्रापके स्रपने जान व माल, इज्जत व वकार श्रीर स्रावरू का सवाल हो गया है। लेकिन मैं स्रपने हिन्दुस्तानी भाइयों से खुले तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह मामला उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ग्राप दुश्मन को नोटिस नहीं दे देते कि निकलो हमारे मुल्क से। जम्मू व काश्मीर स्रव स्रापका है।

मि० डिप्टी चेयरमैन । जब हम रोजमरी ग्रखबारों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सुबह कुछ शाम कुछ । भ्राज वही हमलावर वहां डटा हुग्रा है ग्रौर धमकी दे रहा है। ग्रब म्रापको चाहिये कि जिस कदर जल्द ममकिन हो उसको बाहर निकालें या रक्खें । खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, यह तो बताग्रो कि वह २७,००० (सताईस हजार) मुख्बा मील इलाका कुछ कम है जिसमें डाकू के तौर पर घुस कर, हमला करके उन्होंने कब्जा कर लिया है? उसने किस कानन से, किस ला से, इस पर कब्जा किया हुक्राहै।दुनियां में कोई मुंसिफ शरूस या ताकत नहीं पूछती । कोई यु० एन० स्रो०, कोई दुनियां की ग्रदालत फैसला नहीं करती कि कितना बड़ा जुल्म हुन्ना है । कौन जाबर, हमलावर, श्रौर जालिम है श्रौर कौन मजलुम है । पाकिस्तान को कोई नही पूछता कि क्यों उसने कितने ही बेगुनाहों को कैंद करके रखा हुआ है, यह कोई नहीं पूछता कि उसका क्या हक है। भ्राग्विर यह कोई पोलिटिकल मामला नहीं है, कोई पेचीदा मामला नही है । सीधा-साधा मामला है। अपने ही घर का मामला है। हमें दूसरे मुल्कों में जाने की क्या जरूरत है ? मैं श्रापको ग्रागाहकरता हूं कि जब तक श्राप जबरदस्ती किसी जाबर, जालिम हमलावर को, बाहर निकालेंगे नहीं तो वह खद निकलने वाला नहीं। यह मैं ग्रापको यकीन से कहता है ग्रौर पूरी जिम्मेदारी से कहता हं कि उसको नोटिस दे दो । जो हमने अपना कांस्टीट्युशन आपके मुताबिक, हसबेहाल ग्रौर ग्रच्छी तरह बनाया, पूरी याजादी यवाम को दी ग्रौर इलहाक का कतई फैसला किया, क्या उसका हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जरूर होना चाहिये मगर रिफ्युजीज मुझसे पूछते हैं कि इस स्राजादी का कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमने अपने मुल्क के लिये ग्रपनी जानें लडा दीं। ग्रौर इस सिलसिले में जो कुछ भी किया उसकी कहने की यहां जरूरत नहीं। मुझे शरम त्राती है। स्राज हमारे खानदान के ग्रौर दूसरे भाइयों के जो रिक्तेदार, बचे है यह कहते हैं कि कांस्टीट्युशन बन गया लेकिन हम क्या करें ? घर नहीं रहा, घाट नही रहा, रूपया पैसा नही रहा ग्रौर ग्राराम व ग्रासायश, सामाने जिन्दगी ग्रौर ग्रपना इलाका नहीं रहा । जो इलाका हम छोड़ ग्राये हैं वहां हमारे मकान है, जमीनें हैं, बिछड़े हये भाई हैं, हमें ना ग्रपना घर वापस मिलता है न मुग्रावजा बल्कि तमाम रिपयजी भाइयों से मकानों का किराया लिया जाता है। कहा जाता है यह बात रूल में, कानुन में लिखी गई है। लिहाजा नये कानन बनने चाहियें। लेकिन यहां मैं देखता हं कि सिर्फ लफ्जों की बहस हो रही है। लेकिन जरा इस दिल से पुछिये जिस पर बीत रही है जिसके लख्तेजिगर कैंद में हैं श्रौर श्राहें भर **रहे** हैं। श्रोर जो बेसर व सामान ग्रौर दु:खी हैं। $(Time\ bell\ rings_{\bullet})$ माफ कीजियेगा, में थोडा ग्रौर वक्त लुंगा। तो मैं ग्ररज कर रहा था कि हमारे भाई कितने दुःख में रह कर वहां म्राहें भर रहे हैं। इनकी ग्राहों के सूलगने से, भ्राग से वह मुल्क जल जायेगा। वहां उन पर जुल्म हो रहा है । पाकिस्तान ने जिन बेगुनाह लोगों पर मजालम ग्रौर सितम किये हैं। उनकी म्राहों से वह बच नहीं सकता, ना इस सजा से बच सकता है जो कहर खुदाई की सूरत में नाजिल होगी । यह सजा कूदरती तौर पर लाजिम हो गई है। मगर मै मिनिस्टर साहब से कहंगा कि स्राप मेहरबानी करके हम लोगों को जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करके, राहत व इतिमनान पहुंचाने का बन्दोबन्त कर दीजिये । हम ग्रापके मश्कूर होंगे । लेकिन यहा साल ब साल कानन पास कर देने से ही काम न चलेगा । जब तक हमारा एक भी इन्सान, ग्रौरत या मर्द या बच्चा वहां मौजुद है तब तक ग्राप को बराबर यह काम जारी रखना चाहिये । दनियां में किसी कौम के बेगनाह शस्स के करल या ग्रगवा किये जाने पर जंग हो जाती है और मुल्क का मुल्क तबाह हो जाता है । चारों तरफ से ग्रावाजें उटती हैं, मकदमें चलते हैं, बहसें होती हैं, ग्रौर इसकी तमाम खबरें ग्रखवारों में छापी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हमले से जो हमारे सैंकड़ों, हजारों लोगों की जानें गई इसकी कही सनवाई नहीं की गई । किसी ने मुकदमा दायर नहीं किया । किसी ने हमारा मकदमा नहीं सूना । ना श्रदालत हुई । हम पूछते हैं हमारा घर कहां है तो कोई जवाब नहीं देता । हमारे मिनिस्टर साहब भी कोई जवाब नहीं दे सकते। कहां है हमारा घर, कहां है हमारे स्रादमी, कहां हैं हमारे बच्चे जो मारे गये, गुम हो गये, उनकी कोई खबर ही नहीं। जो बचेखुचे रिश्तेदार यहां है या वहां हैं वे यह जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रागे क्या मस्तकबल है। पता नहीं कि इनका क्या मजहब रह गया है, क्या इज्जत रह गई है । वे चाहते हैं कि जिस तरह हम हिन्दोस्तान में सब मजहब व मिल्लत के ोग इज्जत के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं, इसी तरह से वह भी रहें। लेकिन वे बेचारे कैदी, बेबस हैं।

मैं ग्रापको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त काश्मीर का मामला एक बड़े नाजुक दौरे से गुजर रहा है । पाकिस्तान वाले जंग पर तुले हये हैं । भ्राप लोगों ने श्रखबारों में बार-बार यह पढ़ा होगा कि पाकिस्तान एलानिया कहता है कि हिन्दुस्तान हमारा दुश्मन वा मुखालिफ है । हमारे बाल बच्चे, ग्रौरतें जो पाकिस्तान में पडी हुई हैं ग्रौर जो मर्द इस वक्त वहां पड़े हुये हैं वह दरग्रसल पाकिस्तानी हकमत के कब्ज में हैं श्रौर उम्मीद नहीं है कि वह लोग इस तरफ ग्रपने रिश्तेदारों के साथ मिल भी सकेंगे। उधर के लोग ऋपने रिश्तेदारों से मिलने के लिये तड़प रहे हैं। श्राप चाहे कितने कानुन बनायें मगर हमारे जो लोग वहां चले गये हैं उनका वापस श्राना बहुत मुश्किल नजर श्राता है। जब श्राप श्रपनी जमीन का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान जबरदस्ती अपने कब्जे में रखे हुये है नहीं छड़ा सके हैं तब यह कैसे उम्मीद की जा सकतीं है कि उन लोगों को जिनको पाकिस्तानी डाक उठा ले गये है ग्राप जवानी बातों से छड़ा सकेंगे **ग्रौर वे वा**पस मंगाये जायेंगे ? यह सवाल काश्मीर के लोगों के दिल व दिमाग में काफी **ग्र**सर पैदा कर रहा है । क्योंकि पाकिस्तानी हमले से इनके जो रिश्तेदार वहां रह गये हैं उनकी वापसी का ग्रभी तक कोई ठोस ग्रीर [सरदार बुर्घ सिंह]

फैसला कुन इन्तजाम नहीं हुम्रा है। जब तक काश्मीर का बाकी हिस्सा हमें नहीं मिलता म्रौर वहां से हमारे बाल बच्चे, भ्रौरतें म्रौर दीगर लोग वापस नहीं लाये जाते तब तक न काश्मीर सलामत है, न उसकी बाउंडरी महफूज रह सकती है भ्रौर न हिन्दुस्तान का वकार ही कायम रह सकता है म्रौर न हिन्दुस्तान की इज्जत व य्रजमत ही कायम रह सकती है। थैक य।

श्रीमती ग्रनीस किदवई (उत्तर प्रदेश) : जनाब डिप्टी चेयरमैन माहब, रिकवरी श्रीर रेस्टोरेशन बिल साल ब साल श्रापके सामने तौसी के लिए ग्राता है। ६ साल हो चुके हैं। चन्द महीनों के ग्रन्दर सर फिरे लोगों ने इतना बड़ा प्राब्लम खड़ा कर दिया था कि ग्राज ६ वर्ष बीत जाने पर भी हम इसे हल नहीं कर सके । ऐसा क्यों है, कोई न कोई कारण तो होगा । सवाल यह है कि क्या भ्रव भी इस एक्ट की जरूरत हैं ? है तो क्या जो तरीकेकार म्रस्तियार किया गया था वही जारी रहना चाहिये । जनावे श्राली, इस बारे में तो कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि रिकवरी का काम ग्रब खत्म होना चाहिये। ६ वर्षहो चुके हैं। भ्राखिर हम कब तक इस लकीर को पीटते रहेंगे श्रौर साल ब साल इस एक्ट में तौसी करते रहेंगे। लेकिन मुझे इजाजत दीजिये कि यह कहने से पहले हमें एक नजर उन तमाम मसायल पर डाल लेनी चाहिये जिनसे गवर्नमेंट, स्टाफ ग्रौर ग्रवाम इस वक्त दों चार हो रहे हैं।

वाक्या यह है कि लड़कियों का अगवा तो नफरत, तास्सुब श्रौर सियासी ब्नियादों पर हम्रा, लेकिन निकास सिर्फ इन्सानियत, शराफत, श्रीर ग्रादर्श की बनियाद पर शरू किया गया। मझे याद है कि दिसम्बर सन् १६४७ में, वह पहली लड़की जिसे ढ़ढ़ने डा० सुशीला नायर श्रौर मैं गई थीं ग्रौर जिसे पुलिस से मदद लिये बिना बरामद कर लिया गया था, एक शौहर की वक्ती फरियाद की बिना पर थी। वह रोता हुन्ना हमारे पास स्राया स्रौर रहम व इंसानियत के तकाजे से हम उसे ढ़ंढने चल पड़े । ग्रौर इसके बाद रोज रोज हमारे सामने अपनी मुसीबतें लेकर बाप, भाई, शौहर ग्रौर मां बहिनें ग्राने लगीं। बापू की इजाजत से हम उनकी मदद करते रहे। बापू ने प्रार्थना की, तकरीरों में भ्रपील की ग्रौर इस तरह से यह सिलसिला चल पड़ा। लेकिन यह सब सोशल वर्कर्स के हाथों होता रहा।

बापू के शहीद हो जाने के बाद भी एक दो माह तक यूं ही रहा लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बाकायदा स्टाफ मुकर्रर कर दिया, कैम्प खोल दिये, पुलिस ग्रौर सोशल वर्कर्स की मदद से यह काम होता रहा ग्रौर इन लड़िक्यों को निकालने का काम शुरू हुग्ना। हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान से डेलीगेशन ग्राये ग्रौर गये। ग्रापस में एग्रीमेंट हुग्ना ग्रौर सरकारी तरीके से बाकयदा इस काम को ग्रपना लिया गया, जिसे हम जैसे चंद लोगों ने शुरू कर रखा था। लेकिन नान ग्राफिशियल मदद ग्रौर सपोर्ट ग्राफिसर्स के साथ वराबर रही ग्रौर इसमें मं खुद ग्रौर मेरे बहुत से साथी शामिल थे।

ज्यं-ज्यं देर होती रही लोग साथ छोड़ते रहे ग्रीर ग्रब तकरीबन दो साल से रिकवरी बिल्कुल ग्राफिसर स्टाफ ग्रौर पुलिस के बल वते पर हो रही है। जनाबे आली, यह है बैक-ग्राउन्ड इस एक्ट का । इस वीच में दो इन्डो-पाकिस्तान कांफ्रेंसें, एक देहली में सन् १६५४ में ग्रीर एक कराची में जुलाई सन् १९४६ में हई। श्रौर उनमें यह फैसला हुग्रा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मकर्रर हो जिसका काम यह अन्दाजा करना हो कि दोनों देशों में कितना काम हुआ है और कितना करना अभी बाकी है। तरीका बरता जाय जिससे रिकवरी का काम जल्दी खत्म हो । चुनांचे हाई पावर्ड **ब्राफिसर्स के लिये दो श्रसिस्टेंट ब्राफिसर मकर्रर** किये गये और साथ ही यह भी तय हुआ कि लडकियों का निकास तेज कराने के लिये प्रोपेगन्डा किया जाय।

दोनों मल्कों के ग्राफिसर जुलाई में इस पर मतफिक थै कि एक्ट में तौसी होना चाहियेँ क्योंकि काम ग्रभी बहत बाकी है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को जिसमें दोनों देशों के हाई पावर य्राफिसर ग्रौर ग्रसिस्टेंट ग्राफिसर शामि**ल** थे ६ माह हो चुके हैं, चार माह उसने काम किया। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी ? क्या यह प्रो**ग्रेस** रिपोर्ट उन्हीं की है ? यह राज कुछ ख्लता नहीं । **ग्रलबत्ता यह जाहिर होता है कि ग्र**सिस्टेंट ग्राफिसर ने यह जरूर किया कि दोनों देशों में ग्रभी ५० हजार केसेज यानी ग्रौरतें ग्रौर बच्चे श्रभी ऐसे वाकी हैं जिनका निकालना जरूरी है। कमीशन ने चंद केसेज लेकर लोगों की शहादतें यानी गवाहियां भी लीं। उन्होंने रिपोर्ट लिखी श्रौर उस पर दस्तखत भी किये। लेकिन क्या यह सही है कि हाई पावर्ड ग्राफिसर ग्रीर वे एक दूसरे से लड़ पड़े ? और यह भी सूना है कि चार महीने से वे इकट्टे मिले भी नहीं, न उन्होंने कोई मीटिंग की है । कहीं इसी बात पर तो कमीशन फेल नहीं हुआ है ?

जनाबे म्राली, सवाल यह हैं कि क्या हाई पावर्ड ग्राफिसर यह काम नहीं कर सकते थे? श्रीर क्या में यह पूछ सकती हूं कि इस कमीशन ·पर कितना रुपया सर्फ किया गया ग्रौर इससे क्या नतीजा बरामद हम्रा जब कि उनकी बाकायदा रिपोर्ट तक हाउस के सामने न ग्रा सकी। इससे पहले भी एक पैम्फलेट दोनों देशों में सन, १९५४ में बांटा गया श्रौर एक इस वक्त हमारे सामने है। इसमें सन् १६५४ से सन् १६५६ तक का हाल है, लेकिन इससे यह जाहिर नहीं होता कि कांफ्रेंस में जो मंजूर हुग्रा उस पर कितना श्रमल हुशा । जुलाई से नवम्बर तक काम में क्या तेजी हुई, कितनी रिकवरी हुई, कितने केसेज क्लोज कर दिये गये, सिर्फ यह मालम होता है कि सन् १६४७ से लेकर ३० सितम्बर तक २५,५४८ ग्रौरतें हिन्द्स्तान से गई, उसमें से ५४ केमेज 'पेंडिंग हैं । ३० सितम्बर तक उनका फैसला न हुम्रा था। ३८४६ हिन्दुस्तान में दे दिये गये। 'पाकिस्तान से ६७८६ हिन्दूस्तान ग्राई । जहां तक प्रोपेगन्डा का सवाल है, यह प्रोपेगन्डा तो जरूर हुग्रा कि रिकवरी बन्द होनी चाहिये लेकिन जल्दी होनी चाहिये, ऐसी कोई बात न हो सकी। मैं खुद ग्रब इसे जारी रखने के हक में नहीं हं। लेकिन सवाल यह है कि हमने इसे शरू किया था इन्सानी हमदर्दी की बिना पर, भारत के ऊंचे ग्रादर्श को कायम रखने के लिये, ग्रखलाकी बनियादों को खोखली होने से बचाने के लिए। पाकिस्तान पर धौस जमाने या दुनिया को दिखाने के लिये नही किया था। पाकिस्तान क्या करता है अगर यह हम देखते रहते तो आज दुनिया में हमारी भी वही दशा होती कि कोई हमसे मिलने से इंकार कर देता ग्रौर कोई स्वागत करने के बदले वापस जाग्रो के नारे लगाता । इस मामले में भी हमारा मियार पाकिस्तान के लिये मिसाल श्रौर काबिले तकलीद रहा है। सबसे पहले मुल्क के साफ दिल श्रौर साफ दिमाग श्रौरतें, मर्द ग्रौर नौजवान ग्रागे वढे। एक ग्रच्छा खासा गिरोह था, जिनके पास युनिवर्सिटी की डिग्नियाँ न सही, लेकिन इखलाकी, मजहवी श्रीर सच्चाई का डिप्लोमा था श्रौर उन्होंने ग्रपनी जान पर खेलकर, हिन्दू ने हिन्दू गुन्डे से ग्रौर सिख ने सिख गुन्डे से शरीफ ग्रौरतों की जानमाल ग्रौर इंज्जत बचाई। पाप श्रौर गन्दगी के इस दौर में वे लोग सत्य को मानने वाले थे, इसी वजह से ग्रासमान हमारे सरों पर नहीं गिरा । उन्होंने भ्रपनी इज्जत श्रौर जान की भी परवाह न की ग्रौर देश के माथे

से इस कलंक के टीके को मिटाने में दिन रात एक कर दिया। 🐦 🐼 👝 🏗 💛

में अपने उन साथियों को और उन आनरेरी और पेड वर्कर्स की किस जबान से नारीफ करूं जिन्होंने बिछड़ों को मिलाने के लिए न आराम व सुख की परवाह की, न पैसे की कमी और ज्यादती की चिन्ता की, बल्कि इस काम को अपना समझकर किया!

जनाबे ग्राली, ग्राज जब रिकवरी एक्ट में तौसी का सवाल ग्राता है तो बहुतों के मंह से यह बोली सुनकर तकलीफ होती है कि रिकवरी स्टाफ अपनी नौकरी और माली नुकसान के ख्याल से इस एक्ट में तौसी चाहता है। स्टाफ में स्राला तालीमयाफ्ता भी हैं स्रौर मामली पढ़े लिखे भी हैं। मुझे उन सबके साथ ग्रब मे चन्द साल पहले काम करने का इत्तफाक हुग्रा है, इसलिये मैं पूरे वसूक से कह सकती हूं कि उनमें से कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं है और छोटी तबीयत का नहीं है। वह सब बा उसूल लोग हैं। अपने उसलों के लिये, अपने देश की इज्जत के लिये ग्रौर इन्माफ, ग्रौरत की इज्जन श्रौर इन्सानियत को श्रागे बढ़ाने के लिये उन्होंने इस काम को ग्रपनाया था, पैसे की खातिर नही। इसलिये उनकी इस ख्वाहिश में जरूर कोई वजह होगी जिससे ग्रानरेबिल मिनिस्टर भी मुतासिर हुए हैं ग्रौर उन्होंने नवम्बर सन् १६५७ तक इस एक्ट को ग्रौर ग्रागे बढ़ाना मंजुर कर लिया है । काम करने वाले जिमे ठीक समझते हों ग्रौर जिम्मेदार ग्रानरेविल मिनिस्टर जिसकी जरूरत महसूस करते हों, उसे में कैसे गलत कह सकती हं श्रौर कोई भी गैर मृतालिक श्रादमी कैसे कह सकता है । ग्रानरेबिल मिनिस्टर से जब से यह मुहकमा मुताल्लिक हुन्ना है, श्रापने हमेशा बडी हमदर्दी, दिलचस्पी ग्रौर तवज्जह से इन मसायल को हल करने की कोशिश की है, इसके लिये हम सब भ्रापके बहुत शुक्रगुजार हैं। म्रगर म्राप जरूरी समझते है तो मैं यही कहंगी कि जरूर तौसी होनी चाहिये। मगर जनाबे स्राली, मझे यह कहने की इजाजत दीजिये कि यह तौसी सिर्फ नवम्बर सन १६५७ तक ही होनी चाहिये। खुदा न करे यह एक्ट भ्रब फिर तौसी के लिये हमारे सामने श्राये। शर्मनाक बातों का बारबार जिन्न करना किसे ग्रन्छा मालम होता है। लेकिन यह कहे बगैर नहीं रहा जाता है कि ग्रगर वाकई इस काम को नवम्बर तक कर ही डालना हती फिर कोई ऐसा ढंग सोचिये कि डिपार्टमेंट का नजरिया जरा बदले।

श्रीमती ग्रनीस किदवई] रिकवरी होनी चाहिये श्रीर उस वक्त तक होनी चाहिये जब तक कि एक औरत या बच्चा भी जबरन कहीं रहने पर मजबूर है। लेकिन ऐसा लगता है इस वक्त दोनों देशों में काम ग्राफिशियल लेबल पर हो रहा है। नान भ्राफिशियल एलीमेन्ट का कोई दख्ल इसमें नहीं है क्योंकि ग्रभी हाल ही में दोनों मुल्कों में ग्रगवाशुदा लड़िकयों की एक लिस्ट छपवाकर बांटी गई है। मैं हैरान हं कि यह कैसे हुआ। इसे सिर्फ अफसरान ही सोच सकते थे ग्रौर कर सकते थे, कोई भी समाजी कारकुन सारी दूनिया में ग्रपने देश की लड़िकयों की, उनके वालदैन ग्रौर शौहरों की रुसवाई श्रौर बदनामी पसन्द नहीं करेगा । करने वालों ने यह नहीं सोचा कि लडकियों के माथे पर यह पैम्फलेट छापकर जो हम मोहर लगा रहे हैं यह मरते दम तक नहीं छुटेगी श्रौर दो चार पुश्त तक उनको माफ न किया जायेगा, इससे लड़कियों की जिन्दगी खराब ग्रौर उनके रिश्तेदारों की गर्दन सोसाइटी के सामने नीची होगी बहर हाल अब सवाल यह है कि ऋगले नवम्बर तक काम खत्म कैसे किया जाय। चंकि रिकवरी कम हो रही है इसलिये यह मुझाव है कि कैम्प बन्द कर दिये जायं, रिकवरी के लिये स्पेशल पुलिस हटा कर डिस्ट्क्ट पूलिस से काम लिया जाय, स्टाफ में ६० फीसदी फौरन कमी कर दी जाय । ये सब बचत की भी सूरतें हैं ग्रौर चूंकि काम कम हो रहा है इसलिये काम को घटाने की भी तरकी बें ह लेकिन सिर्फ इन दो तीन तरीकों से तो मसला हल नहीं होता ।

ग्रब तक यह था कि फिरोजपूर ग्रौर ग्रम्तसर कैम्प से लड़िकयां सीधे लाहौर चली जाती थीं ग्रौर ग्रब इन दोनों कैम्पों को तोडने ग्रगर कोई लड़की पंजाब के किसी हिस्से में रिकवर होती है तो उसे छोडने के लिये जालंधर जाना पड़ेगा और नतीजा यह होगा कि हफ्ते में बमुश्किल एक या दो से ज्यादा का निकास न हो सकेगा। तो इस तरह से काम में देरी ग्रौर कमी होगी ग्रौर लड़िकयों ग्रौर बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी । इसी तरह काश्मीर में जम्म के होम या कैम्प को बन्द करने का सवाल है । वहां तो भ्रौर ज्यादा मुश्किल है । काश्मीर की लड़की को जालंधर में रखना रिश्तेदारों के लिये कितनी मुसीबत का बायस होगा, यह तो सोचिये। इसलिये बेहतर यही होगा कि कैम्प ग्रौर होम्स उस वक्त तक बाकी रखे जायं जब तक कि एक्ट का निफाज है।

दसरा सवाल स्टाफ का है। खर्च कम करने के तो दो तरीकं हो सकते हैं, एक यह कि बड़े तनस्वाहदारों को कम करके नीचे का स्टाफ बाकी रखा जाय, दूसरा यह कि नीचे से छटनी शुरू की जाय । बचत के लिये ग्रगर ग्रापने फील्ड वर्कर्स को हटा दिया तो मुश्किल हो जायगी । फील्ड वर्कर्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकेगा । श्रगर ऊंची तनस्वाह वाले स्टाफ में कमी होती है तो शायद काम चल जाय लेकिन ग्रगर फील्ड वर्कर्स में, या जो कैम्पों के इंचार्ज है या जो सोशल वर्कर्स हैं जो कि घरों के ग्रंदर जाते है, इस तरह के लोगों में कोई कमी की गई तो मेरे खयाल में काम में तेजी नहीं भ्रायेगी ग्रौर काम नहीं होगा।

तीसरा सवाल यह है कि स्पेशल पुलिस ग्रलग कर दी जाय ग्रौर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस रिकवरी करे । इसके लिये पहले यह देखना पड़ेगा कि जहां स्पेशल पुलिस है वहां ग्रौर जहां नहीं है वहां कैसे काम हुग्रा है ग्रौर मेरा खयाल है कि ग्रानरेबिल मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे तो वह भी इससे[.] म्त्तफिक होंगे कि जिन इलाकों में जरूरत है वहां स्पेशल पुलिस रखे बिना काम नहीं चल सकता है। कम से कम ६ माह तक जब तक कि एलेक्शन की धमाधमी खत्म न हो जाय तब तक डिस्टिक्ट की पूलिस इसकी तरफ ध्यान भी न दे सकेगी, इसलिये कम से कम इतने दिन तक तो स्पेशल पुलिस जरूर ही रखनी है।

ग्राखिर में मुझे ग्रफसोस के साथ यह कहना पडता है कि रिकवरी ग्रौर रिस्टोरेशन के बीच में जो जिम्मेदारियां हुक्मत पर स्रायद हुईं उसके ग्रलावा रिस्टोरेशन के बाद में भी ग्रक्सर म्राफ्टर केयर का सवाल पैदा हम्रा है म्रौर पाकिस्तान से ग्राने वाली लड़कियों का ग्राफ्टर केयर बहुत कुछ हुम्रा भी है बल्कि बेहतरीन तरीके **से** हुम्रा है लेकिन वह लड़कियां जिनके रिश्तेदार हिन्दुस्तान में थे ग्रौर जो यहीं उनको रिस्टोर की गई उनके ग्रापटर केयर की कोई जिम्मेदारी हकूमत ने नहीं ली । तो तजवीज यह है कि एक कमेटी पार्लियामेंट के मेम्बरों की बना दी जाय जो कि यह देखे कि क्या वजह है कि भ्रब तक यह काम खत्म नहीं हो सका ग्रौर क्या तरीका ग्रस्तिया**र किया जाय**े जिससे ग्रगले नवम्बर तक तमाम केसेज खत्मः कर दिये जा सके श्रीर प्राब्लम पुरी तरह से साल्व कर दी जा सके । सिर्फ यही देखना नहीं है कि कितना स्टाफ श्रलग किया जाय बर्लिक यह

देखना है कि कितनी लड़कियां बाकी हैं, जो बरामद हो चुकी हैं वे कहां गई हैं ग्रौर ग्रगर ग्रगन करने वालों को वापस दी गई हैं तो वहां हैं या नहीं । उस समाज में उनका सोशल स्टेटस क्या है।

तो मेरा कहना है कि ट्राइब्युनल में सिर्फ पुलिस के ग्रफसर न हों बल्कि सोशल वर्कर्स भी उसमें शामिल किये जायं । इस वक्त ट्राइब्युनल की सूरत यह है कि उसमें दोनों मुल्कों के हाई पावर्ड ग्राफिसर्स होते हैं ग्रौर उसमें एक लेडी भी है मगर किसी भी ऐसे सोशल वर्कर से उस ट्राइब्युनल का ताल्लुक नहीं है जो कि गवर्नमेंट के स्टाफ में नहीं हो । तो मेरा खयाल है कि ऋगर कोई सोशल वर्कर इस ट्राइब्युनल में शामिल कर लिया जाय तो फैसला करने में स्रासानी होगी। भ्रक्सर केसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं, छ: छ: महीन<u>े</u> गुजर जाते हैं श्रौर लडिकयों के मकदमों का फैसला नहीं होता है । तो काम में जो देरी होती है उसकी एक खास वजह यह है कि काम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कि गवर्नमेंट श्राफिसेज में दूसरे काम होते है श्रौर उसमें कई कई महीने लग जाते हैं। यह तो एक इमर्जेंसी का काम था ग्रौर इसको जल्दी से खत्म हो जाना चाहिये था । ग्रगर हर महीने जल्दी से जल्दी फैसला हो जाता तो इस काम में इतनी देर नही लगती । रिकवरी होने के बाद लडकियों को ग्राठ-ग्राट महीने भ्रौर दस-दस महीने सिर्फ फैसले इंतजार में जालंधर के कैम्पों में रहना पड़ता है। यह ऐसी चीज है जिससे रिक्तेदार भी परेक्षान होते है, लडिकयां भी परेशान होती हैं श्रीर काम में भी देगी होती है।

तो मेरा कहना है कि इस काम के लिये जो कमेटी बनाई जाय वह यह भी देखे कि जो केसेज रिजस्टर हुए हैं और जिन केसेज को लड़िकयों ने आकर रिजस्टर कराया है उनका क्या होगा और अब तक क्या हुआ है। तो सारे रिकार्ड को देखने के बाद ही यह अंदाजा हो सकेगा कि कितनी जल्दी से जल्दी इस मामले को खंत्म किया जा सकता है। शुरू में तो यह काम ठीक से नहीं चला था मगर उसके बाद यह सूरत हुई कि काम काफी तेजी से हुआ और हम उम्मीद करते थे कि शायद यह जल्दी खत्म हो जायगा लेकिन दो साल से इतनी आहिस्तगी से लड़िकयां रिकवर हुई और इतनी देरी में फैसले हुए कि उसका नतीजा यह हुआ कि उसमें देरी होती चली गई। जहां तक हक्मत का सवाल है

हुकूमत ने पूरे तौर पर कोशिश की लेकिन हो सकता है कि जो ग्राफिसर्स हैं ग्रीर स्टाफ के लोग हैं उनमें कोई कमी हो या जो लोग केसेज करते हैं उनके फैसलें करने में देरी लगती हो, कोई न कोई वजह जरूर है । तो म ग्रानरेबिल मिनिस्टर से यही दरख्वास्त करूंगी कि इन तमाम चीजों को देखने के लिये वह ग्रगर पालियामेंट की एक कमेटी बना दें तो बड़ी ग्रासानी हो जायगी ग्रौर कमेटी के लोग इन तमाम चीजों को देख कर कोई सही मशविरा दे सकेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है।

KISHEN CHAND (Andhra Pradesh): Sir, once more we are considering this Bill for extending the life of this Department. I submit that the hon. Minister is carrying on very good work. In so far as women and children on both sides of the border who want to go back to their original countries are concerned, it is a good work. We will have to repeat the arguments that were advanced last year when we requested the hon. Minister that there should be a timelimit to everything. It is nearly nine years since that sad event happened there was the partition of the country—and human beings lost all sense proportion and committed such atrocious crimes against defenceless women and children that we have to hang down our heads in shame. But that is no reason why we should continue this Department and rake up the old wounds. Those old wounds should be allowed to heal slowly and gradually. Instead of doing that, once more the hon. Minister comes forward asking for a further extension of the maintenance of the Department after a period of nine years when those women have got reconciled themselves to their foster homes, when they have produced children when they are very much afraid that, if they go back to their original countries, they may not be received that their parents or husbands not keep them. In such circumstances, is it right and fair to retain this Department? I cannot advance any arguments in favour of the continuance of this Department. arguments are against its continuance. How is it right and fair? After such

[Shri Kishen Chand.] a period of time, you collect the and children into women certain camps. After that, a series of relatives come. Suppose, we are collecting Muslim women in our country who have been forcibly kept in India, who have married Indians and who have children; now, if these women are taken to a camp, a whole series of visitors start coming in. They come from Pakistan. They are good people. They come and possibly, offer them glorious visions of how they will received in their own country, how they are longing to receive them back in their country, etc. And these women undergo a tremendous emotional strain. On the one side, they have their new home-we can call it 'adopted home'-in India with their husbands and children; on side, all sorts of pressure is brought on them by these emissaries of Pakistan. I would like to know from the hon. Minister whether it is fair and justified to allow the women undergo, over and abnormal hardships that they have suffered at the time of partition, this extra strain of being forced-out-or being 'persuaded' you may call it--after nine years in this country? But it is a sort of force employed by these representatives of Pakistan who are trying to take away these women.

Sir, last year also, the attention of the hon. Minister was drawn to the fact that by all estimates India had worked very well in the matter recovering abducted persons. Nearly 80 to 85 per cent. of the Muslim women have been recovered they have been returned to Pakistan. And out of the total number of Hindu women who were forcibly retained in Pakistan, barely 20 to 25 per cent. have come to India. And the present rate recovery is almost insignificant. Under these circumstances I would like to know whether there is any justification in continuing the Department. I am sure the hon. Minister will say at the time of replying "Oh, we are doing this humanitarian work, etc." I would like to ask whether raking up the past and scratching the wounds which are slowly and gradually healing is any humanitarian work. On the contrary, we should try close this Department as early as possible, because whatever work had to be done has been done in the last eight or nine years. There is no further need of continuing this Department at all. It is a sad memory of sad events, and we want to forget it as early as possible. Any further continuance of it is not going to help in fostering relations between India Pakistan. Therefore I submit, Sir, that the continuance of this Department is not in the best interests of peace and tranquillity between the two neighbouring countries, which were, only nine years back, parts of one big country of India. Therefore I request the hon. Minister to reconsider the matter and try to close this Department.

SWARAN SINGH: SARDAR Mr. Deputy Chairman, I am grateful to the hon. Members who have given considerable thought to this very complicated problem. The points they have urged are points which have been before Government for a fairly long time. We have been doing best to carry on this work in such a way as may not be open to objection. But we have to bear in mind Sir, that the problem as such is of a very difficult nature and it is very difficult really to say whether any foolproof method can be found out which may steer clear of these various objections.

There has been general support for the continuance of this measure from the Members who have participated in the debate. Even the last speaker, Mr. Kishen Chand, who has raised some very pertinent questions has not opposed the continuance of this measure, but he has expressed a desire that we should try to wind it up as soon as possible. I think he was not here when I made while commending this remarks motion to the House. I had said that it was the Government's intention to wind up this work as soon as possible, and we might be able to do it even before the expiry of the present period of one year.

SHRI KISHEN CHAND: Thank you.

SARDAR SWARAN SINGH: It is also our intention thereafter that such of the unfortunate victims who might require assistance on our side would be dealt with as social cases, and some sort of method would be devised to give relief to those persons. But this elaborate procedure of recovery—detention in camps and the like—is intended to be stopped thereafter.

I want, however, to mention one aspect which is very relevant. Some has been made about mention work that is being carried on in Pakistan. I am not going to compare the work which has been done in Pakistan with the work that we have done. I have given some facts and figures objectively, and it is for the hon. Members to deduce whatever conclusions they may from the facts and figures which I have given in small pamphlet.

So far as the legislative measure is concerned, I want the hon. Members to remember that so far as Pakistan is concerned, the statute is a permanent statute, and it is not extended year after year, as we do it here. It may be that in the actual carrying out of the work, their organisation not functioned in such a way as to come up to the expectations of the hon. Members of this House. But so far as the Act itself is concerned, whereas we have always treated it as an emergency measure, and very rightly, if I may add, on the other hand, so far as Pakistan is concerned, the Act itself is on a permanent basis. Therefore, so far as the continuance of the work for some time more is concerned, there is, I think, a good case, particularly because the report of the fact-finding commission has not yet been put forward.

The hon. Member from the State of Jammu and Kashmir, Sardar Budh Singh for whom I have got very great regard, very rightly was indignant about the pace of recovery from

the part of the State of Jammu and Kashmir which is in the occupation of Pakistan. Some work has been done, although the work which has been done there is really not up to our expectations. Even now, the relatives of these unfortunate victims do continue to make petitions, to seek interviews, and to impress upon the organisation the desirability of recovering the stranded individuals in that part of the State of Jammu and Kashmir. Some work has been done, but I have no hesitation in saying that the work that has been done there is not to our satisfaction. In a case of this nature, all that we can do would be to impress upon those concerned the desirability of putting in the best effort and also to continue to do our bit, because that perhaps may be the biggest argument in support of our desire that others should do their duty.

We cannot expect to put pressure or cannot expect that results may flow from the other side if we do not do our duty. We have to do our duty because we think that it is good to do Incidentally it is also proper and expedient to do our duty because it helps to create an atmosphere where others may also think it proper to do their duty. While referring to the affairs of another country, I am afraid I could not really say more than what I have already done. We on our side have been trying to do this work from the humanitarian view-point of ging comforts to these unfortunate victims. The hon. Lady Member, Begum Kidwai, has given very great thought to this problem. I have the greatest respect for the feeling that she has about this cause and she herself had been very intimately associated with the functions of this organisation. She knows the functioning of the institution perhaps a little more than I do and she has made some suggestions but I am disinclined to agree her when she says that the pace of work has been slackened during the last two years or so. There is a volume of opinion in the country, this House as well as in the other House, that a certain toning up of the institution has taken place during the

[Sardar Swaran Singh.]

last two or three years and the distrust that generally people had about women being sent across against their wishes has greatly disappeared in the course of the last 2 or 3 years. It will also not be possible for me to accept her criticism that the nonofficial association in this organisation has in any way diminished recently. As a matter of fact, in regard to most of the work connected with the management of camps, or with the sorting out of clues, or with the handling of the relatives who come with clues and in the matter of creation of a proper atmosphere which is of very great importance before the wishes of the victims are ascertained, the non-official association has been very real and very vital and I want really to pay a tribute to those workers both officials and non-officials who have, considerable criticism and sometimes facing this feeling of a retaliatory character, facing all these things, carried on this work which cannot any means be said to be popular. It that human is common experience memories are likely to change and we are prone to forget the earlier atrocities and are likely to take a shortterm view. It often happens that wrong-doer after a lapse of time, earns a position under which people are likely to condone his wrongs and when any infliction of punishment or e like takes place, a compassion is aroused in the minds of many people. That is unfortunately the wav in which minds of ordinary people would function but we have to take a proper view of affairs of this nature and we should really do our best to undo the hardships that unfortunately were caused to these people when the unfortunate incidents of 1947 took place. The continuance of an organization of people this nature which removes from surroundings into which they were hustled against their wishes, takes them to a neutral place where they can meet their relatives and thereafter in moments of calmness divorced from that fear complex they can express their wishes as to what should be done with regard to their future, is to my mind, a very humanitarian

and a proper way of dealing with the situation,

The hon. Lady Member, Begum Kidwai, wants me to do my best to wind up the work during the course of this year and she also wants that the staff and the like may be continued for a considerable time more. think if our intention is to wind up the work at the end of the year, as surely it is Government's intention, we will have to take concrete steps towards the direction of reducing the size of our staff appreciably so that at the end of the year we arrive at a position where the work tails off and there are no problems which are left unattended to at the end of that year and I may assure the hon. Lady Member that any steps that are taken will be taken after mature consideration. so that the work does not suffer either at the stage of the custody of these recovered persons or with regard to their restoration or with regard their recovery. These were the salient points that have been urged.

One other point was urged that a Committee consisting of Members of this honourable House may be set up who might go into this matter. Any advice that could be available the hon. Members of this House is most welcome. It has always been welcome and actually I have taken good care to ascertain the wishes of the hon. Members from time to time. Some weeks ago I held an informal discussion with all those hon. Members who had participated in the discussion at the time of the last consideration of the Bill and there I found that there was a more or less consensus of opinion that the work may be continued for some time more that the relief that it affords may continue to be available to the unfortunate persons for some time more. Any suggestion that the hon. Memberseither the Lady Member or any other hon. Member—may have, would be most welcome and I would be greatly benefited by the association and advice which I might get from hon. Members but I have doubts as to whether a regular formal Committee to go into

all this work would yield any result. For one thing, the work has almost reached its last leg and it will be a little unfair that the hon. Members of Parliament should be burdened with additional work of warding through very vast volumes of record and material but it will be really helpful and, if there are any suggestions that are to be offered in this connection, they would be of very great benefit to me personally and also for the successful implementation of the policy which has been laid down by Parliament.

With these words, I commend the motion for the acceptance of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

4 P. M.

Clause 1, the title and the Enacting Formula were added to the Bill.

SARDAR SWARAN SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

SHRIMATI SAVITRI DEVI NIGAM (Uttar Pradesh): Sir, may I say a few words?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्रीमती सावित्री निगम: उपसभापित महोदय, इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करते हुये मुझे चन्द शब्द इस विषय में कहने हैं। पहली बात यह मेरी समझ में नहीं ग्राती है कि जब तक कि इस देश में या उस देश में सारी बहनें रिकवर न कर ली जायं तब तक हमारा यह निर्णय कर लेना कि स्रगले साल हम कैम्प को खत्म कर देंगे कहां तक उचित है। जब तक कि उन वेचारी बहनों का, जिनके बारे में इधर के परिवार वाले चिन्तित हैं, पूरी तरह से पता न लग जाय या जब तक कि हमें पूरी तरह से यह मालुम न हो जाय कि कौन बहन कहां है, किस हालत में है, तब तक इस विधेयक का समाप्त किया जाना या इसको केवल एक साल के लिये बढ़ाना में उचित नहीं समझती । मैने पिछली बार भी कहा था ग्रौर इस बार भी मैं यह कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय को चाहिये था कि इस विधेयक को कम से कम दो वर्ष के लिये या तीन वर्ष के लिये प्रवश्य ही एक साथ ले ग्राते ताकि बार बार की यह दिक्कत कि इस विधेयक पर हम लोग विचार करें दूर हो जाती।

श्रीमन्, श्राप यह जानते ही हैं कि जैसे ही हम इस विधेयक को समाप्त कर देंगे वैसे ही इन बहनों के पुनर्वास का काम समाप्त नहीं हो जायगा। श्राप जरा गौर करें कि जो बहनें इस देश में हैं जिन्होंने यही निश्चय किया है कि वहां वापस नहीं जायंगी विल्क उस ब्यक्ति के साथ जिसने उसको एबडक्ट किया था रहना पसन्द क्रुरती हैं क्योंकि दूसरे देश में जीवन-यापन करने का कोई साधन उनके पास नहीं है उन बहनों के लिये क्या व्यवस्था है। ऐसी बहनों के पुनर्वास के लिये श्राप्टर केयर इंटरनेशनल इस्टीट्युशंस दोनों देशों में श्रवश्य ही बनने चाहियें तभी हम इन श्रभागी बहनों की पूरीपूरी सुरक्षा श्रीर हिफाजत कर सकेंगे। एक तो मुझे यह सजेशन देना था।

दूसरी बात यह है कि यदि हम सचमुच रिकवरी के काम को बहुत शीछ्र पूरा करना चाहते हैं और हम इस काम में स्पीड लाना चाहते हैं और हम इस काम में स्पीड लाना चाहते हैं कि दोनों देशों के जितने भी ऐसे प्राणी हैं—चाहे वे बच्चे ों या स्त्रियां हों—जो कि रिक-वर नहीं हुए हैं वे रिकवर हों तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि जो बहनें रिकवरी का काम कर रही हैं उनको एक ऊंचा स्टेटस दें ताकि उनको इस काम का कुछ श्रेय हो। श्रभी तो ऐसा होता है कि जो ट्राइब्युनल बनती हैं उनमें ऐसे लोग होते हैं जिनका कि इस काम में कोई श्रेय नहीं रहता है, जिनको डाइरेक्टली स्त्रियों या बच्चों से डील करना होता है वे उसमें ग्रभी नहीं रहती हैं श्रीर उनके ऊपर पुलिस विभाग के श्रधिकारी वगैरह रहते हैं। इसलिये जो ट्राइब्युनल बने

[श्रीमती सावित्री निगम]
उसमें ऐसे लोगों को काफी स्टेटस दिया जाय श्रौर
उनको काफी ताकत दी जाय ताकि वे लोग
इस काम में पुलिस श्राफिसर्स को ठीक तरह से
गाइड कर सकें।

इसके म्रतिरिक्त में एक सजशन यह देना चाहती हूं कि दोनों देशों के सामाजिक कार्य-कर्ताम्रों का एक सम्मेलन होना चाहिये क्योंकि ग्रांप देखें कि चन्द सरकारी म्रधिकारी इस काम को उतनी म्रच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितनी भ्रच्छी तरह से कि समाज सेवा करने वाली बहनें भौर माई कर सकते हैं। इसलिये में कहंगी कि दोनों देशों के ऐसे कार्यकर्ताम्रों का जो कि रिकवरी के काम से सम्बन्ध रखते हैं, सरकारी रूप से एक सम्मेलन बुलाया जाय तो यह काम बहुत ग्रासानी से ग्रौर शीझता से हो मकेगा ग्रौर इसमें इतना विलम्ब नहीं होगा जितना कि ग्राज कल हो रहा है।

इसके प्रतिरिक्त चूंकि यह बहुत हयुमैनेटैरियन काम है ग्रौर बहुत सच्चाई ग्रौर समझदारी से करने का काम है इसालये में यह चाहूंगी कि ट्राइब्युनल में ग्रिधिकांश स्त्रियां रखी जायं जो कि खास तौर से इसको स्त्रूटिनाइज करें ग्रौर यह पता लगायें कि कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में ग्रभी पता लगाने की जरूरत है। इस काम को भी यदि बहनों की एक कमेटी बना कर उसके सुपुर्द कर दिया जाय तो यह ज्यादा ग्रच्छी तरह से हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करती हूं।

SHRI H. P. SAKSENA (Uttar Prash): Mr. Deputy Chairman, the hon. Minister for Works, Housing and Supply who is also the sponsor this Bill—The Abducted Persons (Recovery and Restoration) Continuance Bill, 1956—deserves our sympathy as well as our congratulations; sympathy because he is engaged in a very laudable and humanitarian work, and congratulations because of the success that his efforts have achieved up till now, during the last four or five years that those unfortunate events occurred. So far as the continuance of this work is concerned, there can be no two opinions. There is a section of opinion in this country which very strongly holds that even if one woman on this side of the border or on the other has been left unrecovered, it would be wrong and it would be sinful on the part of that Government to give up the work and that is the view of one of the distinguished lady Members of this House and I am in perfect agreement with that view. An extension of one year is sought by this Bill and I am sure the House will readily grant it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is already granted. We are on the third-reading stage.

SHRI H. P. SAKSENA: But it is not yet rightly granted unless the Bill passes the third-reading.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI H. P. SAKSENA: We alf know that a considerable number of persons have been repatriated either way. But I may respectfully submit that putting women in the camps, whether it be in Pakistan or in Hindustan, in order to get their final decision whether they would like to patriated to the respective countries or would stay behind in the country in which they are placed at present, is not being looked after impartially, at least in one of the countries. I know and I admit that on this side of the border, that is to say, in Hindusthan, all is being done in the most honest and in the most efficient manner. But this, Sir, I am sorry to say, cannot be said about the other side of the border. That is perhaps the reason why the hon. Minister remarked that allegations were made. The allegations were valid sometimes and sometimes they were not. But in carrying on this humanitarian work we should not give any cause for complaint or grievance to any person whatsoever, especially those who are concerned with the recovery of the abducted persons. Imagine the condition of the person who has been separated forcibly against his or her will or wish, from his or her relatives and friends and put thousands of miles away and not being able to exercise his other discretion in the freest possible manner. I

hope, Sir. some mechanism will soon be devised to get this work done on a social basis or on some other basis, because I am sure that even during the period of the next year for which this measure is being extended, this work shall not have come to an end. Therefore, some other method of recovering all those who have been abducted will have to be found out.

SARDAR SWARAN SINGH: I am grateful to the hon. Members who have extended their support to measure. Both the hon. Lady Member-Shrimati Nigam-and Shri Saksena have supported this Bill. A suggestion has been made regarding the method of looking after these cases after recovery. This, Sir, is a social matter and it requires some consideration and if the hon. Lady Member could give some further thought to it and suggest as to what should be the after-care organisation, I am prepared to consider it because it is really our intention that something shoul be done rehabilitate psychologically and otherwise - these unfortunate victims and if any concrete suggestion can be made as to what should be the type of after-care organisation, I am prepared to consider it. It cannot take the form of a sort of permanent continuous Government organisation because, obviously, for a Government department to handle social work of nature will not perhaps be a proper way. We have got the Social Welfare Board and other social organisations functioning in the country and with such assistance as may be expected of Government, it may be thought of as to what should be done to ensure that these unfortunate persons do continue to get Government support for their psychological and material rehabilitation.

I have nothing further to add, Sir.

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted. 6-43 Rajya Sabha/56

THE TERMINAL TAX ON RAIL. WAY PASSENGERS BILL, 1956

THE DEPUTY MINISTER FOR RAILWAYS AND TRANSPORT (SHRI O. V. ALAGESAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the levy of a terminal tax on passengers carried by railway from or to certain places of pilgrimage or where fairs, melas or exhibitions are held, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

As hon. Members are probably aware, the terminal taxes on passengers carried by railways now in force are "pilgrim taxes" levied in respect persons going to and returning from specified pilgrim centres collected as part of the railway fare except only that terminal tax is collected in respect of Howrah which is not a pilgrim centre. These pilgrim taxes were leviable under the local enactments passed before 1-4-1937 on which date the Government of India Act, 1935, came into force. That Act made terminal taxes on passengers carried by railways a Central subject, but at the same time authorised the continuance of the levy of the existing terminal taxes on passengers carried by railway until provision to the contrary was made by the Central Legislature. Under the Constitution also, terminal taxes on passengers carried by railway are included in the Union List, but under the saving provision of article 277, the States or municipalities or local bodies are authorised to continue to levy terminal taxes already existing. meant that whenever there has been any need for the levy of a fresh terminal tax, on the basis of a represenfrom a local body on ground of fresh or additional expenditure on health and sanitation measures required at a particular place for the large number of persons visiting a pilgrim or other centre in the jurisdiction of that local body, recourse had to be had to special separate legislation invoking also the Ordinance-making powers of the President in some cases. In some cases